

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : प.2 (अ.स.)(132)एसीबी/03/ 300-482

दिनांक : 19-6-03

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/  
आयुक्त/अधिशारी अधिकारी  
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं  
समस्त राजस्थान

परिपत्र


विषय : भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन  
स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों के सम्बन्ध में ।

---00---

राज्य सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीकृत प्रकरणों में बाद अनुसंधान अभियोजन स्वीकृति चाही जाने संबंधी प्रकरणों में तथ्यों का पूर्ण विवेचन करने के पश्चात् नियुक्ति अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने अथवा नहीं करने का निर्णय लिया जाता है ।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30 मई, 2001 एवं 6 अप्रैल, 2002 में वर्णित प्रावधान अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमें अभियोजन स्वीकृति नहीं दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, को भी मुख्य सर्तकता आयुक्त को भिजवाए जाने का प्रावधान है, लेकिन विभाग के ध्यान में आया है कि अनेक प्रकरणों में कार्मिक विभाग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जाती ।

अतः लेख है कि भविष्य में अभियोजन स्वीकृति से संबंधित सभी प्रकरणों में कार्मिक विभाग के उपरोक्त परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जावे तथा जिन मामलों में तथ्यों का परीक्षण/विवेचन करने के उपरांत अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करने का निर्णय लिया जाता है, उन्हें भी विभागीय टिप्पणी/निष्कर्ष के साथ मुख्य सर्तकता आयुक्त को उनकी राय हेतु भिजवाया जावे ।

  
शासन उप सचिव

क्रमांक : प.2 (अ.स.)(132)एसीबी/03/ 483-766

दिनांक : 19-6-03

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, मा.राज्यमंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
4. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान ।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, राजस्थान
6. समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण निदेशालय
7. सुरक्षित पत्रावली

  
अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान

राज. जयपुर